



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112020-222999
CG-DL-E-07112020-222999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3546]
No. 3546]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 2020/कार्तिक 16, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 2020/KARTIKA 16, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2020

का. आ.4026 (अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा को दिनांक 7 नवम्बर, 2020 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. 4/2/2020-आईआर II]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2020

S.O. 4026 (E). — The President, on the recommendations of the committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Sh. Yashvardhan Kumar Sinha as the Chief Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the forenoon of 7th November, 2020.

2. The terms and conditions of his appointment shall be regulated in accordance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

[F.No.4/2/2020-IR II]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.